जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीविवि/अफ/गुरु/स्था/2017/694 दिनांक : 13/05/17

//सूचना–पत्र//

प्रति,

1) सूरज कुमार राजौरिया पुत्र हैतराम राजौरिया, पता– 545, भीम नगर, गांधी रोड़, ग्वा0(म0प्र0)
2) रायसिंह पुत्र बालमुकन्द सिंह, पता– समता मार्ग गली नं0 2, पंचशील नगर, मेला ग्राउण्ड, ग्वालियर (म0प्र0) **मो0 नं0 9893604323**
3) सुमन राहुल अहिरवार पुत्री मोहन सिह राहुल अहिरवार पता–C/o श्री बी0एल0 गुप्ता, 11–गायत्री विहार (आठ दुकान के पास), ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)
   मो0 नं0 9074275358
4) प्रदीप जौघपुरिया पुत्र महेश कुमार, पता– ग्राम चकफयका बाडी अकबाई, पोस्ट – टेकनपुर, डबरा, जिला– ग्वालियर (म0प्र0)
5) सीमा पाराशर, विधि संस्थान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

आपके विरूद्ध विधि संस्थान विभागाध्यक्ष से हुये विवाद में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित शिकायत को संज्ञान में लेकर प्रथम दृश्या जॉच उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक RCCH–142 दिनांक 31/03/2017 को विश्वविद्यालय शिक्षण कार्य से निलम्बित किया गया है। इसके साथ ही प्रॉक्टर प्रो0 आर0 ए0 शर्मा द्वारा एक लिखित शिकायत भी प्राप्त हुई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि, उक्त शिकायत के संदर्भ में आप दिनांक 17/05/2017 को सायं 03:30 बजे टण्डन कक्ष में उच्च स्तरीय समिति के सक्षम उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण एवं कथन प्रस्तुत करें। उपस्थिति न होने पर यह समझा जावेगा कि आपको अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं आपके पूर्व कथन को ही अन्तिम मानते हुये कार्यवाही की जावेगी।

उप–कुलसचिव
(प्रशासन)

संलग्न :– 1) प्रो0 आर0ए0 शर्मा, प्रॉक्टर, जीविवि का शिकायती–पत्र।

प्रतिलिपि,

1) माननीय कुलपति के सचिव,
2) कुलसचिव के सचिव
3) उपरोक्त सभी छात्र
4) नोटिस बोर्ड विधि संस्थान का
5) विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड हेतु

उप–कुलसचिव
(प्रशासन)